माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर

क्रमांकः मा.शि.बो. / परीक्षा–II / 2016 / 356

दिनांकः 02-12-2016

– :: कार्यालय आदेश ::–

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 26.11.2016 के अनुपालन में छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व प्रणाली के अनुसार प्रतिलिपि प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु 50/– रूपये के नोन ज्यूडिशयल के शपथ–पत्र की बाध्यता को समाप्त कर छात्र द्वारा स्वंय ही सादे कागज पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिलिपि प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(मेघना चौधरी)
सचिव

क्रमांकः मा.शि.बो. / परीक्षा–II / 2016

दिनांकः......................

1. समस्त अधिकारी।
2. ए.सी.पी.–बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
3. उपनिदेशक (जनसम्पर्क)
4. समस्त प्रभारी अधिकारी विद्यार्थी सेवा केन्द्र
5. समस्त अनुभाग अधिकारी
6. आदेश पत्रावली
7. सूचना पट्ट

उपनिदेशक (परीक्षा II)

श्री .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी .... ने जिसका परिचय श्री .... ने दिया है, ने मेरे समक्ष आज दिनांक .... को उक्त शपथ ली।

मजिस्ट्रेट/नोटेरी ....

गोल सील हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक

नोट :– इस शपथ पत्र का प्रारुप बोर्ड की वेबसाईट www.rajeduboard.nic.in पर उपलब्ध है।

7. टी.सी. की प्राप्ति :–

जिन स्वयंपाठी छात्रों ने अपने परीक्षार्थ आवेदन–पत्र के साथ पूर्व विद्यालय की टी.सी. परीक्षा की पात्रता की जांच हेतु संलग्न की हो उनके द्वारा चाहे जाने पर ₹ 25/– शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्रेषित करने पर मूल टी.सी. लौटा दी जाती है तथा फोटो प्रति कार्यालय अभिलेख में रख दी जाती है। इस प्रकार के प्रलेख 2 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाते है।

बोर्ड द्वारा प्रदत्त अभिलेख अथवा अंकतालिका में अथवा किसी अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र अथवा अन्य किसी भी प्रलेख में अंकित प्रविष्ठि में हेरफेर अथवा रद्दोबदल पाये जाने पर बोर्ड द्वारा इस हेतु बनाये गये नियमानुसार दण्ड दिया जा सकता है।

नोट :– अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया प्रलेख क्रमानुसार ही दिया जायेगा। इसमें लगने वाले यथोचित समय के लिए आवेदक बोर्ड से कोई क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

सामान्यतः आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की प्रतिलिपि प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक के पते पर ही भिजवाये जाएगे।

विशेष परिस्थियों में यदि विद्यार्थी चयनकर्ता संस्था के साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दे तथा निदेशक परीक्षा प्रथम, परीक्षा द्वितीय, उप निदेशक परीक्षा, विशेषाधिकारी परीक्षा, मुख्य नियन्त्रक परीक्षा अथवा सचिव में से कोई एक अधिकारी प्रार्थी को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र By Hand तत्काल देने के तथ्य से संतुष्ट हो तथा विद्यार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क 1.30 P.M. तक जमा करा दिया हो तो कोई फोटो युक्त पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति लेकर सम्बन्धित पत्रावली पर रखकर प्राप्ति के हस्ताक्षर कराकर प्रमाण पत्र हाथों हाथ जारी किया जा सकेगा।

सहायक निदेशक परीक्षा द्वितीय ऐसे जारी किये गये दस्तावेजों का स्थायी रजिस्टर शाखा स्तर पर संधारित करायेंगे।

नोट :– प्रतिलिपि प्रमाण पत्र By Hand देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं होगा।